भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4294
मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

पीएम-किसान के साथ प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का एकीकरण

†4294 श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) या अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ किस प्रकार एकीकृत किया गया है;
(ख) सरकार द्वारा पीएसीएस की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए क्या विनियामक ढाँचा स्थापित किया गया है; और
(ग) सरकार द्वारा पीएसीएस के कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय ने प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) को किसानों के लिए स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदाय का हब बनाने हेतु पैक्स को प्रधानमंत्री किसान और अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ एकीकृत करने के अनेक उपाय किए हैं । इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. **किसान डेटाबेस के साथ ईआरपी-समर्थित अभिसरण:** पैक्स कंप्यूटरीकरण का केंद्रीय प्रायोजित परियोजना PM-KISAN, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK), ब्याज अनुदान, उर्वरक और बीज वितरण, PDS आउटलेट्स, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कस्टम हाइरिंग, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, कॉमन सेवा केंद्र, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), आदि जैसे राष्ट्रीय पोर्टलों के एकीकरण द्वारा एक समरूप ईआरपी-आधारित प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

2. **बहु-क्षेत्रक योजना लिंकेज:** पैक्स को केंद्रीय योजनाओं की श्रृंखला में प्रतिभाग करने के लिए समर्थ बनाया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- किसानों को एक ही छत के नीचे उर्वरक, कीटनाशक और विभिन्न अन्य कृषि निविष्टियां प्रदान करने के लिए **पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (PMKSK)** के रूप में समर्थ किया गया है । अब तक 36,592 पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है ।

- ग्रामीण जनता को बैंकिंग, बीमा, बिजली बिल भुगतान, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, आदि जैसी 300 से भी अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए **पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में** समर्थ किया गया है । अब तक 47,918 पैक्स ने कॉमन सेवा केंद्र के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया है ।
- ग्रामीण जनता को किफायती दामों में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए **पैक्स को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र (PMBJK) के रूप में** सक्षम बनाया गया है । अब तक 762 PACS को PMBI से स्टोर कोड प्राप्त हो गए हैं जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं ।
- **पैक्स को पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स के लिए पात्र बनाया गया**: सरकार ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स के आबंटन के लिए पैक्स को कंबाइंड कैटेगरी 2 (CC2) में शामिल होने की अनुमति दी है ।
- **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंप को खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई**: मौजूदा थोक लाइसेंस प्राप्त पैक्स को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित होने के लिए वन-टाइम विकल्प दिया गया है । तेल विपणन कंपनियों द्वारा साझा की गई सूचना के अनुसार 5 राज्यों से 117 थोक उपभोक्ता पंप लाइसेंस प्राप्त पैक्स ने खुदरा आउटलेट्स में परिवर्तित होने की सहमति दी है जिनमें से 59 पैक्स को तेल विपणन कंपनियों द्वारा कार्यशील कर दिया गया है ।
- **पैक्स को अपने कार्यकलापों में विविधता के लिए एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए पात्र बनाया गया**: सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान कर दी है । इससे पैक्स को अपने आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि करने और अपनी आय प्रवाह में विविधता लाने का विकल्प प्राप्त होगा ।
- पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में **नल जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रख-रखाव (O&M)** कार्य करने के लिए पात्र बनाया गया है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा 539 पैक्स को पंचायत/गांव के स्तर पर प्रचालन और रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए चिह्नित/चयनित किया गया है ।
- **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन**: कृषि और किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा एनसीडीसी को आबंटित 1,100 FPOs के अतिरिक्त लक्ष्य के विरुद्ध उसने सहकारी क्षेत्र में पैक्स के माध्यम से 1,117 FPOs पंजीकृत किया है । यह सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र और विशेष रूप से पैक्स को अपने सदस्यों के लिए राजस्व के वैकल्पिक स्रोत उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है जिसके फलस्वरूप वे स्वयं को एक व्यवहार्य, गतिशील और वित्तीय रूप से संधारणीय आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित करते हैं ।

(ख): ईआरपी समर्थित सॉफ्टवेयर ऑडिट पारदर्शिता लाता है जिसके परिणामस्वरूप बेहतर वित्तीय प्रबंधन होता है, जो व्यवसाय विविधता के साथ मिलकर पैक्स की वित्तीय संधारणीयता में वृद्धि करता है । आदर्श उपविधियां पैक्स को डेयरी, मात्स्यिकी, भांडागारण, एलपीजी वितरण, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, उचित मूल्य की दुकान, इत्यादि जैसे 25 से अधिक विविध

आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम बनाती हैं जिसके फलस्वरूप अल्पकालिक ऋण पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को घटाती हैं । ये उपविधियां बेहतर शासन मानदंड, पारदर्शिता और महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की प्रतिभागिता सहित समावेशी सदस्यता के उपबंध भी प्रदान करती हैं ।

(ग): सरकार ने पैक्स कार्यकलापों की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन के लिए अनेक तंत्र संस्थित किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD):** यह एक व्यापक, API-समर्थित रिपोजिटरी है जो पैक्स के पंजीकरण, सदस्यता, ऑडिट अनुपालन, प्रचालन की स्थिति और वित्तीय संकेतकों पर रियल टाइम डाटा संकलित करता है जिससे केंद्रीय और राज्य प्राधिकरण इस सेक्टर की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं ।
- **ERP/MIS और मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग:** इस ईआरपी प्लेटफॉर्म में बिल्ट-इन MIS डैशबोर्ड और ऑडिट ट्रेल्स के साथ लेखांकन, ऋण ट्रैकिंग, प्रापण और इन्वेंटरी प्रबंधन के मॉड्यूल शामिल हैं । इससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs)/राज्य सहकारी बैंकों (StCBs)/नाबार्ड और सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) द्वारा नियमित पर्यवेक्षण की सुविधा प्राप्त होगी ।
- **सहकारी रैंकिंग संरचना:** वित्तीय स्थिति, शासन, अवसंरचना और सेवा प्रदाय पर आधारित पैक्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की एक राष्ट्रीय संरचना जो समकक्षी बेंचमार्किंग (peer benchmarking) को बढ़ावा और बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता है ।
- **मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (SOPs):** नए बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों और अन्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई हैं । इन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में समीय-सीमा, उत्तरदायित्व और निगरानी की जांच-बिंदु परिभाषित किए गए हैं ।
- **मंत्रालय द्वारा समीक्षा और निगरानी तंत्र:** सहकारिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इन पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु एक बहु-स्तरीय पद्धति अपनायी है । इन पहलों, विशेषकर पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ नियमित मासिक समीक्षा बैठकें की जाती हैं । नाबार्ड सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे प्रमुख हितधारकों को इस परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए शामिल किया गया है । इसके अतिरिक्त, एक व्यवस्थित निगरानी संरचना स्थापित की गई है जिसमें राष्ट्र-स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति (NLMIC), राज्य और जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समितियां (SLIMC और DLIMC), राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC) (मुख्य सचिव की अध्यक्षता में) और जिला सहकारी विकास समिति (DCDC) (जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में) स्थापित की गई हैं । ये निकाय पैक्स कंप्यूटरीकरण सहित सहकारी क्षेत्र के सभी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और समन्वय सुनिश्चित करते हैं ।

  इसके अलावा, नीति आयोग ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं, जिसमें मंत्रालय के अधीन "पैक्स कंप्यूटरीकरण" और "आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से सहकारी समितियों का सशक्तीकरण" शामिल हैं, का प्रभाव मूल्यांकन किया है ।

*****